

(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 159/2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00353

1. शिवलाल पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. महेन्द्र पुत्र घीसा जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादीगण

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र कालु जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. कैलाश पुत्र घीसा जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. कवर पाल पुत्र गुगन जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. जगदीश पुत्र रिछपाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. जयकिशन पुत्र रिछपाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. जयपाल सिंह पुत्र गुगन जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. भगवानी पत्नी रिछपाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. मनोहर पुत्र रिछपाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. मामन पुत्र कालु जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
10. मीना पत्नी गुगन जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. सुवती पत्नी रामजीलाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
12. रोतास
13. मनफुल
14. रामप्रकाश
15. राकेश
16. पुरुषोत्तम पुत्रान रामजीलाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
17. सुरजमान पुत्र रिछपाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
18. सुदेश पुत्र रिछपाल जाति नाई निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 159/2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00353

शिवलाल बनाम ओमप्रकाश आदि

दावा बाबत- घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि के ख0 न0 422 रकबा 1.24 है0, ख0 न0 424 रकबा 0.75 है0, ख0 न0 425 रकबा 1.18 है0, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.17 हैक्टर में प्रति0 सं0 1 का 1/12 भाग प्रति0 सं0 2 का 1/24 भाग, प्रति0 सं0 3 का 1/36 भाग, व प्रति0 सं0 6 का 1/36 भाग, प्रति0 सं0 9 का 1/12 भाग, प्रति0 सं0 10 का 1/36 भाग व वादी संख्या 2 का 1/24 भाग में से कम करके वादी संख्या 1 को 1/15 भाग की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। एवं वाके ग्राम घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 के ख0 न0 422 रकबा 1.24 है0, ख0 न0 424 रकबा 0.75 है0, ख0 न0 425 रकबा 1.18 है0, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.17 है0, में वादी संख्या 2 का सभाचन्द्र पुत्र घीसा की बजाय महेन्द्र पुत्र घीसा शुद्ध दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पंकज शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.) एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना